

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	--	---

	<p>भरतलाल वगैराह बनाम बद्रीनारायण वगैराह किस्म मुकदमा : स्थानान्तरण प्रा० पत्र मु० नं० 66/2018</p>	
--	--	--

<p>16.7.2018</p>	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री ब्रजमोहन गौड को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी हो। उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की जावे। पत्रावली दिनांक 13.8.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> अति० जिला कलेक्टर</p>	<p><i>करीब</i> <u>10213</u> <u>16-7-18</u> NOTICE <u>10194-207</u> <u>16-7-18</u></p>
------------------	---	---

<p>13-8-18</p>	<p>आज पीठारसीन अधिवक्ता को अवकाश पर अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आदेशों की पालन में पत्रावली नियत दिनांक 20-8-18 को पेश की</p>	
----------------	--	--

<p>20-8-18</p>	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अपात्री सं० 3 उपस्थित। अपात्री सं० 3 की कोर से प्रदीप कुमार विजय एड० द्वारा बकाया गण गृह पेशी दिनांक को पेश किया जा चुका है। अधिवक्ता अपात्री सं० 3 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा श्री गोबर्धनलाल शर्मा का स्थानान्तरण हो चुका है। इसीलिए प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का अनुरोध नहीं है अतः नियाराधित प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज करमाये। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> अति० जिला कलेक्टर दोसा</p>	
----------------	--	--




अति० जिला कलेक्टर  
दोसा

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर, दौसा

<p>तारीख हुकम</p>	<p align="center">हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु. नं० 66/2018 फाउपत्र स्फा० भरतलाल vs लक्ष्मीनारायण</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-------------------	---	---

रामगढ पंचवार का स्थानांतरण होने से विचाराधीन फाउपत्र स्थानांतरण को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया।

अधिवक्तागत उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य को अध्ययन कर रखते हुए तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपजुड अधिकारी रामगढ पंचवार का स्थानांतरण होने से इस न्यायालय में विचाराधीन फाउपत्र स्थानांतरण को आगे बलये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः न्यायालय उपजुड अधिकारी रामगढ पंचवार में विचाराधीन फाउपत्र अस्वादि निषेधाज्ञा उनकी भरतलाल बनाम लक्ष्मीनारायण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु फाउपत्र डाय प्रस्तुत फाउपत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपजुड अधिकारी रामगढ पंचवार को भिजवायी जाके फाउपत्र जैमल कुमार टाकर नम्बर से रूप है एवं प्रकृष्ट लेख गठार है। निर्णय आज दिनांक 20/8/18 को मुझे न्यायालय में सुनाया गया।

  
 अति० जिला कलेक्टर  
 दौसा

